निगरानी / टी.ए. / 3600 / 2004 / टोंक
सीताराम बनाम भींवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.7.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री वी. पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 66 / 2003 में पारित निर्णय दिनांक 29–4–2004 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 ने सहायक कलक्टर (मु0) टोंक के न्यायालय में इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का नोटिस विधिवत तौर पर तामील कराये बिना वादी द्वारा मिलीभगत से करायी गई तामील को पूर्ण मानकर प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकतरफा में निर्णय दिनांक 5–5–93 के द्वारा वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के न्यायालय में जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश की जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29–4–2004 द्वारा अपील को मयाद बाहर मानकर निरस्त कर दिया जबकि प्रार्थीगण ने अपनी अपील में स्पष्ट रूप से कथन किया था कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी दिनांक 10–4–2003 से पूर्व नहीं थी और न ही प्रार्थीगण को प्रस्तुत वाद के कोई नोटिस ही प्राप्त हुए ऐसी स्थिति में नोटिस लेने से इन्कार करने अथवा हस्ताक्षरित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण की अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाए। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में निगरानी नहीं की जा सकती। उक्त प्रकरण में अपील की जा सकती थी। अतः उक्त तकनीकी बिन्दु के आधार पर निगरानी खारिज योग्य है तथा धारा 5 के अनुसार उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से भी चलने योग्य नहीं है। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपील के स्थान पर निगरानी की गयी है जो एक विधिक त्रुटि है। अतः निगरानी खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	